

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 05.09.2023**

**गोवध निवारण अधि० का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पशु क्रूरता अधिनियम में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गोवंश की तस्करी के मामले में वांछित अभियुक्त शहबाज अंसारी को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के सचिन अस्पताल चौराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज में आर्मस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. शहबाज अंसारी पुत्र सज्जाद अंसारी निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-107/23, धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि० व 3/11 पशु क्रूरता अधि० थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

02. मु०अ०स० 290/23, धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर

02. 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ०नि० विवेक कुमार मौर्य मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 05.09.2023**

**थाना कटराबाजार पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुरस्कार घोषित/वांछित/जिलाबदर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया था।

जिसके अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर जिलाबदर अभियुक्त लल्लू उर्फ गुरूबचन को कटरा से गोण्डा रोड़ गोनाद मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त को A.D.M. गोण्डा द्वारा 06 माह के लिए जिलाबदर घोषित किया गया था फिर भी अभियुक्त गोण्डा जनपद में निवास कर रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

01. लल्लू उर्फ गुरूबचन पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम चमारन पुरवा मौजा सिसई जोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:-**

01. मु0अ0सं0-455/23, धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधि0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम:-**

उ0नि0 सुनील कुमार मय टीम।